राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 16/2014/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, वृत्त–अजमेर । .....
अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स होटल पुष्कर पैलेस, पुष्कर। ......प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य.

उपस्थित ::
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता । ......अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी.सी.सोगानी,
अधिकृत प्रतिनिधि । ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.11.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त, अजमेर (जिसे आगे निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **21.06.2013 सपठित संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2013** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 110/2012–13/वैट/अजमेर** के अन्तर्गत पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित करने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का निर्धारण वर्ष 2009–10 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2011 को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2004 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत् पारित कर, तद्नुसार मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित मूल निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, पारित मूल निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2011 को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन आदेश दिनांक 02.07.2012 को पारित कर, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ रिकॉर्ड की पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अभिखण्डित कर कायम की गयी मांग राशियों को पुनःस्थापित (restore) करने की प्रार्थना की ।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 12.08.2013 की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **21.06.2013** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2013 को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है । अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी. जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

7. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576 । (राज.)**

2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79 । (आर.टी.टी.)**

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में

लगातार...3

प्रस्तुत अपील को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन यिका गया । अध्ययन करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक **12.08.2013** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

10. परिणामतः अपील अस्वीकार की जाती है ।

11. निर्णय प्रसारित किया गया ।

12.11.14

(मदन लाल)

सदस्य